(वाद संख्या–518/15)

08.07.2020

परिवादीगण, संजीत कुमार एवं अन्य, ग्राम पंचायत, आनन्दपुर, प्रखण्ड–बिहटा, जिला–पटना की ओर से एक आवेदन दिये जाने पर संचिका संख्या–BHRC/COMP-518/2015 पुनः उपस्थापित की गयी है।

प्रसंगाधीन मामला बिहटा प्रखण्ड के आनन्दपुर पंचायत तथा आनन्दपुर ग्राम वार्ड संख्या–7 महादलित टोला (रविदास टोला) में मनरेगा के तहत नाली निर्माण कार्य को जबरदस्ती रोके जाने तथा निर्माण कार्य को समाप्त करने में प्रखण्ड के अधिकारियों के टालमटोल रवैये से संबंधित है।

उक्त के संबंध में परिवादीगण की उपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित मनरेगा के कनीय अभियंता सदानन्द सिंह द्वारा आयोग को सूचित किया गया था कि जे0सी0बी0 के आने–जाने से एक–दो जगह के चैम्बर का सीमेन्टेड ढ़क्कन क्षतिग्रस्त हो गया है तथा **उन्होंने आयोग को आश्वासन भी दिया था कि नाली निर्माण के पश्चात् जब गली की ढ़लाई की जायेगी, तो उस समय क्षतिग्रस्त सभी ढ़क्कनों को ठीक कर दिया जायेगा।**

उपरोक्त आश्वासन से उपस्थित परिवादीगण के संतुष्ट होने के उपरांत आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद कर दिया गया।

परिवादीगण की ओर से इस आशय का आवेदन दिया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा व कनीय अभियंता, मनरेगा, बिहटा द्वारा आयोग के समक्ष दिये गये आश्वासन का अबतक सम्मान नहीं किया गया है तथा उनकी ओर से प्रसंगाधीन मामले को पुर्नजीवित करने की याचना की गई।

अब, जबकि उक्त प्रसंगाधीन मामले के संबंध में परिवादीगण की उपस्थिति में पूर्व में, आयोग के समक्ष प्रखंड

विकास पदाधिकारी, बिहटा के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित मनरेगा के कनीय अभियंता, सदानन्द सिंह, को निर्देश/आदेश दिया जा चुका है तथा परिवादीगण के संतुष्टि के उपरांत, पूर्व में ही संचिका बंद कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः समान आशय के परिवादीगण के आवेदन पर आयोग के स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

आयोग के स्तर पर परिवादीगण के आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

कार्यालय, परिवादीगण के आवेदन (पृ0–168–161/प0) तथा दिनांक–17.02.2020 के आदेश की प्रति संलग्न कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा को इस निर्देश के साथ भेज दिया जाय कि उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिये गये दिनांक–17.02.2020 के आश्वासन के अनुरूप छः सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से कार्य समाप्त कराना सुनिश्चित करे।

तद्नुसार परिवादीगण को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

सहायक निबंधक